FORM NO .III

फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम दीगोद

जितेश नागर बनाम सरकार

किस्म मुकदमा 152 C.P.C. ... नं. 74 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.06.22	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी (वादी) उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पारित निर्णय –डिक्री में संशोधित बाबत अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी प्रस्तुत किये जाने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को तलब किया जाकर मूल पत्रावली के साथ पेश हो।	
30.06.22	प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर मूल पत्रावली पेश है। प्रार्थी वादी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि उक्त वाद की पत्रावली न्यायालय में जेरकार थी जिसमें वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 14.06.2021 निर्णय–डिक्री पारित की गई। उक्त उनवान के वाद पत्र में सहवन से वाद पत्र तैयार करते समय जमाबन्दी में फोटो प्रति में स्पष्ट नहीं होने से ग्राम देवपुरा के स्थान पर दीगोद टंकित होने पर रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाकर निवेदन है कि पारित निर्णय–डिक्री में खाता सं0 379 ग्राम देवपुरा के स्थान पर लिपिकीय त्रुटि से दीगोद अंकित हो गया। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। प्रकरण का अवलोकन किया प्रार्थी/ वादी का प्रार्थना पत्र का एवं पारित निर्णय दिनांक 14.06.2021 का अवलोकन किया गया। दिनांक 14.06.2021 को पारित निर्णय–डिक्री में संशोधित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पूर्व प्रकरण सं0 07/2021 निर्णय दिनांक [illegible]2021 में खाता सं0 379 ग्राम दीगोद के स्थान पर देवपुरा किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः निर्णय दिनांक 14.06.2021 में खाता सं0 379 ग्राम दीगोद के स्थान देवपुरा पढा जावे। तदनुसार मूल निर्णय में नोट अंकित किया जावे। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर मूल पत्रावली के साथ संलग्न कर दाखिल दफतर हो। उपखण्ड अधिकारी दीगोद	

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.10.11 16:07:02 IST
Reason: SelfAttested